राहत: यूपी में बढ़ाई गई ई-वाहनों पर छूट की अवधि

लखनऊ, विसं। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली छूट अक्तूबर 2027 तक बढ़ा दी है। इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को अनुदान देने की व्यवस्था है। यह अनुदान दोपहिया वाहन पर 5,000 और चार पहिया वाहन पर एक लाख रुपये है। यह छूट अक्तूबर 2023 में समाप्त हो गई थी।